



## मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

13 JUL 2016

क्रमांक 35 / 77 / 2010 / चयन

इन्दौर, दिनांक

### चयन परिणाम

(माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर की याचिका क्रमांक डब्ल्यू.ए./233/2012 एवं माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर के द्वारा निर्णित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.ए. 547/2014 में पारित निर्णय के परिपालन में)

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 06/परीक्षा/2010/दिनांक 05.07.2010 के द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के कुल 193 पद विज्ञापित किये गये थे। जिसके चयन हेतु दिनांक 14.11.2010 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 26.03.2011 एवं 02.06.2011 को घोषित किया जाकर अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार दिनांक 01.06.2011 से 18.06.2011 एवं 27.06.2011 से 29.06.2011 तक आयोजित किये गये थे। साक्षात्कार उपरांत अंतिम चयन परिणाम दिनांक 30.06.2011 को घोषित किया गया था।

2/ माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर की याचिका क्रमांक डब्ल्यू.ए./233/2012 एवं माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर के द्वारा निर्णित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.ए. 547/2014 में पारित निर्णय को पारित निर्णय के परिपालन में 05 याचिकाकर्ताओं के लिखित परीक्षा में अंको (संशोधित अंक) की अद्यतन स्थिति के परिणामस्वरूप दिनांक 30.06.2011 की स्थिति में घोषित चयन परिणाम में मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर याचिकाकारों का चयन परिणाम निम्नानुसार घोषित किया जाता है :-


### मुख्य सूची

स.क.	रोल नम्बर	नाम	लिंग	दिनांक 30.06.2011 को घोषित चयन परिणाम में वरिष्ठता की स्थिति
1	18933	मयंक भारद्वाज	M	अनारक्षित (मुख्य सूची के स.क. 43 के नाम के बाद 43 ए पर संस्थित)
2	12121	पंकज पारेता	M	अ.पि.वर्ग (मुख्य सूची के स.क. 111 के नाम के बाद 111 ए पर संस्थित)
3	19639	राजबीर सिंह यादव	M	अ.पि.वर्ग (मुख्य सूची के स.क. 112 के नाम के बाद 112 ए पर संस्थित) पूर्व में घोषित चयन परिणाम में अभ्यर्थी अनुपूरक सूची (अ.पि.वर्ग.) के स.क. 2 पर चयनित थे

## अनुपूरक सूची

स.क.	रोल नम्बर	नाम	लिंग	दिनांक 30.06.2011 को घोषित चयन परिणाम में स्थिति
1	15065	कुलदीप सिंह भदौरिया	M	अनारक्षित (अनुपूरक सूची (अनारक्षित) के स.क. 1 के नाम के बाद 1 ए पर संस्थित)
2	17913	चंचल मोदी	M	अ.पि.वर्ग (अनुपूरक सूची (अन्य पिछड़ा वर्ग) के स.क. 1 के नाम के पहले 1* पर संस्थित)

3/ "चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।"

  
( वंदना वैद्य )  
उप सचिव